निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /SE-06/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, भोपालपानी, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, भोपालपानी, देहरादून के माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्रीमती रेखा, श्री एस.एस.दरियाल सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 20.04.2018 से 26.04.2018 तक श्री पी.के. गुप्ता लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **(1)परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री विजय कुमार मौर्य ले.प., श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 03.05.2017 से 12.05.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह .... से .... तक एवं व्यय हेतु माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे राजस्व हेतु माह .... से .... तक एवं व्यय हेतु माह 04/2017 से 03/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** - सम्पूर्ण प्रदेश के खनिज अन्वेषण कार्य, खनन प्रशासन कार्य इत्यादि।
3. (ii) (अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षो मे कार्यालय (आबकारी विभाग) द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	लक्ष्य	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2015-16	45,000	272.65
2016-17	50,000	335.32
2017-18	62,000	440.13

(ii)(ब) बजट का विवरणः-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)`	बचत (-)`
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2015-16			440.02	353.07	828.36	487.35		428.45
2016-17			538.13	363.05	1108.99	433.92		850.14
2017-18			451.32	416.16	678.01	239.75		473.42

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
एसी कोई योजना नहीं है।					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई -A--श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

अपर सचिव/निदेशक

अपर निदेशक

सयुक्त निदेशक (भूविज्ञान)- सयुक्त निदेशक (खनन)- रसायन

उपनिदेशक सहायक भूविज्ञान उपनिशेषक/ज्येष्ठ खान अधिकारी सहायक रसायन प्रतिविधिक सहायक रसायन

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **सम्पूर्ण प्रदेश** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, भोपालपानी, देहरादून** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) **विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-**

राजस्व: माह .....लागू नहीं.............. को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: माह ...फरवरी 2018.......... को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर 01- शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न होने के कारण राजस्व क्षति ₹ 180 करोड़

उत्तराखण्ड शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य ₹ 620 करोड़ निर्धारित किया गया था। शासन द्वारा निर्धारित राजस्व के आधार पर निदेशालय द्वारा जिलेवार राजस्व का निर्धारण किया गया था।

कार्यालय अभिलेखों की जांच में पाया गया कि उधमसिंहनगर जिला को छोड़कर कोई भी जिला कार्यालय अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका। समस्त जिलों द्वारा निर्धारित लक्ष्य ₹ 620 करोड़ के सापेक्ष ₹440 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया। जिला कार्यालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण विभाग को ₹ 180 करोड़ राजस्व की क्षति हुई। जो निम्न तालिका से स्पष्ट है :-

क्र.सं.	**जिले का नाम**	**वर्ष 2017-18 हेतु निर्धारित राजस्व(करोड़ में)**	**निर्धारित राजस्व के सापेक्ष प्राप्ति**	**राजस्व प्राप्ति कमी/आधिक्य**
1	**2**	**3**	**4**	**5 (3-4)**
1	देहरादून	60.00	48.35	(-)11.65
2	हरिद्वार	60.00	33.80	(-)26.20
3	टिहरी गढवाल	20.00	18.25	(-)01.75
4	पौड़ी गढ़वाल	35.00	23.68	(-)11.32
5	चमोली	30.00	14.65	(-)15.35
6	रूद्रप्रयाग	15.00	09.01	(-)05.99
7	उत्तरकाशी	25.00	16.36	(-)08.64
8	नैनीताल	190.00	135.56	(-)54.44
9	अल्मोड़ा	15.00	14.10	(-)0.90
10	चम्पावत	20.00	15.77	(-)04.23
11	उधम सिंह नगर	60.00	67.79	(+)07.79
12	वागेश्वर	60.00	22.62	(-)37.38
13	पिथौरागढ़	30.00	19.58	(-)10.42
		योग 620.00	**440.00** (440-439.52=0.48) दशमलव में लिए जाने के कारण अंतर आया	**180.48** (620-440=180.48) दशमलव में लिए जाने के कारण अंतर आया

विभाग के संज्ञान में लाये जाने पर विभाग द्वारा जनपदों से, प्राप्त राजस्व में आयी कमियों का कारण प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का आश्वासन दिया गया है।

अत: प्रकरण संज्ञान उच्चाधिकारियों के में लाया जाता है।

भाग -2 (ब)

प्रस्तर -02 नीति के शर्तो के अनुसार एम0ओ0यू0 न किए जाने के बाद भी खनिकर्म विभाग द्वारा निगम के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किया जाना।

शासनादेश संख्या 2911/VII-II-II/146-ख/10/2011 दिनांक 18 नवम्बर, 2011 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड खनिज नीति- 2011 के बिन्दु संख्या-2(2) में मा0 उच्चत्तम न्यायालय से एन0पी0वी0 मुक्त निगम/ संस्था खनन चुगान प्रारम्भ करने से पूर्व निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने के उपरांत निदेशक द्वारा निर्गत अनुमति के पश्चात ही उपखनिज के चुगान /खनन प्रारम्भ करेंगे।

कार्यालय निदेशक, भूतत्त्व एवं खनिकर्म के अभिलेखो की नमूना जांच में पाया गया कि उत्तराखंड वन विकास निगम, देहरादून के साथ कभी भी एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जबकि उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा निरंतर उपखनिज के चुगान का कार्य किया जा रहा था । लेकिन इस कार्यालय द्वारा वन विकास निगम से बार-बार पत्राचार किये जाने के बाद भी एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। उल्लिखित नीति की शर्तानुसार खनन प्रारम्भ करने से पूर्व एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित था। खनिकर्म विभाग की द्वारा नीति के अनुसार वन विकास निगम के द्वारा एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर न करने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

उक्त को इंगित करने पर बिभाग ने उत्तर में बताया कि एम0ओ0यू0 के प्रारूप पर हस्ताक्षर किए जाने हेतु बार-बार पत्राचार प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में वन विकास निगम के द्वारा अद्यतन तक एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर नहीं किया गया था। प्रबंध निदेशक, उत्तराखंड वन विकास निगम के पत्र संख्या 6715/एन0पी0बी0 दिनांक 07 फरवरी 2018 द्वारा अवगत कराया गया है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में बहने वाली नदियो से उपखनिजों के चुगान में एन0पी0बी0 की छूट प्रदान की है और इसके साथ यह भी निर्देश दिये गए है, कि खनन पट्टा विलेख एम0ओ0यू0 निष्पादित नहीं किया जाना है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योकि खनिकर्म विभाग के द्वारा सम्पूर्ण उत्तराखंड में होने वाली उपखनिज संक्रियाएँ का प्रवंधन, दोहन एवं नियंत्रण कार्य किया जाता है, जिस हेतु यह आवश्यक है कि विभाग को पता रहे कि कौन से क्षेत्र में चुगान/खनन का कार्य किया जा रहा है। और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी एम0ओ0यू0 न किए जाने का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

अतः नीति की शर्तो के अनुसार एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर न किए जाने के बाद भी खनिकर्म विभाग के द्वारा निगम के विरुद्ध कोई कार्यवाही न किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : लागू नहीं

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

व्यय से संबन्धित: - लागू नहीं

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य**

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा **निष्पादित अच्छे कार्य - टिप्पणी शून्य**

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, भोपालपानी, देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये:

   शून्य टिप्पणी

2. **सतत् अनियमितताएः**
   टिप्पणी- शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री एस.एल. पैट्रिक	अपर निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, भोपालपानी, देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र